

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
उत्तर प्रदेश।

2. महानिदेशक,
परिवार कल्याण
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग- १

लखनऊ : दिनांक : ३०-१०-१५

विषय : क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के क्रियान्वयन के सम्बंध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम का शुभारम्भ नवम्बर, 2014 में किया गया, जिसका उद्देश्य प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्तापरक सेवायें प्रदान किया जाना है। इसके अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिनके नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु राज्य एवं जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस समितियों का गठन किया गया है। भारत सरकार के निर्देशानुसार विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्वालिटी सम्बंधी गतिविधियों की समीक्षा हेतु पूर्व में गठित सभी समितियों का विलय राज्य एवं जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति में किया जाना है।

राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस सेल एवं वर्किंग ग्रुप के गठन हेतु जारी शासनादेश संख्या यू०ओ०-132/पांच-9-2012-9 (200)/12, दिनांक 05.12.2012 तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी शासनादेश संख्या 543/ पांच-9-14-9 (293)/13, दिनांक 03.07.2014 एवं 731/पांच-9-2014-9(293)/13, दिनांक 9 सितम्बर, 2014 को अवकमित करते हुए राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति का गठन निम्नवत किया जाता है:-

1. राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क०, उत्तर प्रदेश शासन | - | अध्यक्ष |
| 2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश | - | उपाध्यक्ष |
| 3. अधिशासी निदेशक, यू०पी०, टी०एस०यू० | - | सदस्य |
| 4. अधिशासी निदेशक, सिफ़सा, लखनऊ | - | सदस्य |
| 5. परियोजना निदेशक, यू०पी०एच०एस०एस०पी० | - | सदस्य |
| 6. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उ०प्र० | - | सदस्य |
| 7. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० | - | सदस्य |
| 8. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य, उ०प्र० | - | संयोजक |
| 9. निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं नोडल अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस | - | सहसंयोजक |
| 10. निदेशक-परिवार कल्याण, निदेशक-मातृ शिशु कल्याण, निदेशक-नर्सिंग
निदेशक-संकामक रोग, निदेशक-आई०ई०सी० ब्यूरो, उ०प्र० | - | सदस्य |
| 11. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय | - | सदस्य |
| 12. एक-एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ, (वीरांगना अवन्ती बाई महिला
चिकित्सालय, लखनऊ से) -वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, वरिष्ठ निश्चेतक
वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ, वरिष्ठ फिजीशियन
(डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ से) | - | सदस्य |
| 13. एकीडिटेड प्राइवेट नर्सिंग होम/स्वैच्छक संस्था से एक प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 14. वरिष्ठ विधिक अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय | - | सदस्य |
| 15. अध्यक्ष अथवा नामित प्रतिनिधि मेडिकल प्रोफेशनल बॉडीज-
फॉर्गसी/आइ.एम.ए./आई.ए.पी. (प्रत्येक से एक) | - | सदस्य |
| 16. जन स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत उत्कृष्ट संस्था (यूनिसेफ, डब्ल्यू०एच०ओ०)
से नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 17. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, चिकित्सा उपचार | - | सदस्य सचिव |

राज्य स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेमिटी) उपसमिति, राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के अधीन तथा जनपद स्तरीय क्षतिपूर्ति (इन्डेमिटी) उपसमिति एवं जनपद स्तरीय एक्कीडिटेशन उपसमिति, जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के अधीन रहेंगी।

उक्त समिति परिवार नियोजन कार्यक्रम के साथ ही आर.एम.एन.सी.एच+ए. कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु उत्तरदायी होगी।

कार्य एवं दायित्व :-

1. क्वालिटी एश्योरेंस सम्बंधी नीति निर्धारण एवं दिशा-निर्देश निर्गत किया जाना-
 - भारत सरकार द्वारा जारी की गयी गाइडलाइन्स का राज्य द्वारा अंगीकरण/रूपांतरण।
 - जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति का गठन।
 - राज्य एवं जनपद स्तर पर परामर्शदाताओं की संविदा पर नियमानुसार नियुक्ति की कार्यवाही।
 - राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस असेसर्स का पैनल बनाना (कार्यरत/सेवानिवृत्त अधिकारियों का पैनल जो अर्धकालिक अथवा पूर्णकालिक, जैसी आवश्यकता हो, के अनुरूप)
 - राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।
2. प्रदेश में स्वास्थ्य इकाइयों द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार -
 - नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैण्डर्ड प्राप्त करने हेतु चिकित्सा इकाइयों के लिए 'रोड मैप' तैयार किया जाना।
 - स्वास्थ्य इकाइयों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।
3. जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समितियों को मार्गदर्शन प्रदान करना -
 - जनपद स्तरीय अभिमुखीकरण एवं जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन।
 - नेशनल टेक्निकल टीम के मार्गदर्शन में राज्य एवं जनपद स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तैयार किये जाने सम्बंधी प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन।
4. क्वालिटी एश्योरेंस गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा -
 - वर्ष में दो बार राज्य क्वालिटी एश्योरेंस समिति की समीक्षा बैठक का आयोजन।
 - विभिन्न पब्लिक हेल्थ चिकित्सा इकाइयों द्वारा प्राप्त स्कोर की समीक्षा तथा सुधारात्मक कार्यवाही करने सम्बंधी निर्णय लिया जाना।
 - क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम की राज्य कार्य योजना तैयार किये जाने में सहयोग प्रदान किया जाना।
 - आवश्यकतानुसार 'प्रोत्साहन योजनाओं' का परिचालन।
5. क्वालिटी के Key Performance Indicators (KPI) की समीक्षा -
 - भारत सरकार द्वारा जनपदीय चिकित्सालयों के लिए निर्धारित किये गये 'Key Performance Indicators (KPI)' की समीक्षा।
6. राज्य स्तरीय परिवार नियोजन इन्डेमिटी (क्षतिपूर्ति) उपसमिति के कार्यों की समीक्षा।

रिपोर्टिंग

- ✓ समिति की समीक्षा रिपोर्ट राज्य एन0एच0एम0 की वेब साइट पर अपलोड किया जाना।
- ✓ समीक्षा रिपोर्ट को जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के साथ साझा किया जायेगा।

प्रक्रिया

- राज्य क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक छः माह में किया जायेगा।
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त समिति के संयोजक द्वारा सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से पत्र द्वारा एक सप्ताह पूर्व अवगत कराया जायेगा।
- अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के संयोजक निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बैठक सम्पन्न करायेंगे। बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा।
- संयोजक की अनुपस्थिति में सह-संयोजक समिति के निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बैठक सम्पन्न करायेंगे।
- सदस्य सचिव द्वारा बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं सुधारात्मक कार्यवाही सम्बंधी रिपोर्ट तैयार करायी जायेगी।

- बैठक में सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे।

1.1 राज्य स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेन्सिटी) उपसमिति का गठन निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश | — | अध्यक्ष |
| 2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश | — | संयोजक |
| 3. वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ, वीरांगना अवंतीबाई, महिला चिकि०, लखनऊ | — | सदस्य |
| 4. वरिष्ठ शल्य चिकित्सक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय, लखनऊ | — | सदस्य |
| 5. संयुक्त निदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय | — | सदस्य सचिव |

परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेन्सिटी) योजना के अंतर्गत भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति धनराशि का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:-

Section	Coverage	Limits
I A	Death following sterilization (inclusive of death during process of sterilization operation) in hospital or within 7 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 2.00 lac
I B	Death following sterilization within 8-30 days from the date of discharge from the hospital.	Rs. 50,000.00
I C	Failure of sterilization	Rs. 30,000.00
I D	Cost of treatment in hospital and up to 60 days arising out of complication following sterilization operation (inclusive of complication during process of sterilization operation) from the date of discharge.	Actual not exceeding Rs. 25,000.00
II	Indemnity per Doctor/Health facilities but not more than 4 in a year	Up to Rs. 2.00 lac per claim

प्रक्रिया:-

- यह योजना प्रदेश में दिनांक 01.04.2013 से प्रभावी है। योजना के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2013 अथवा उसके उपरान्त डिटेक्ट/रिपोर्ट किये जाने वाले मामले ही आच्छादित होंगे।
- इस योजना के अंतर्गत ऐसे समस्त लाभार्थी/व्यक्ति, जिनका नसबन्दी ऑपरेशन प्रदेश सरकार के सरकारी केन्द्रों अथवा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी सेवा केन्द्र में किया गया है, योजना के सेक्शन-IA/IB/IC/ID से आच्छादित होंगे।
- परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी सेवायें देने वाले सभी सरकारी तथा निजी क्षेत्र के इम्प्लैन्ड चिकित्सक योजना के सेक्शन -II से आच्छादित होंगे।
- नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता के मामलों में क्षतिपूर्ति धनराशि के भुगतान हेतु क्लेम फॉर्म (संलग्नक-1) भरा जाना होगा।
- नसबन्दी ऑपरेशन के पूर्व भरा जाने वाला सहमति पत्र (संलग्नक-2) जिसे चिकित्सा इकाई के प्रमुख द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया हो, प्रमाण के रूप में लगाना होगा।
- महिला/पुरुष नसबन्दी ऑपरेशन हेतु भरी जाने वाली मेडिकल रिपोर्ट एवं चेकलिस्ट (संलग्नक-3) चिकित्सा इकाई के चिकित्सक द्वारा भरा जाना होगा।
- नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता का मामला प्रकाश में आने के 90 दिन के भीतर लाभार्थी द्वारा क्लेम फॉर्म जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति को प्रस्तुत करने पर ही क्षतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य होगी।
- नसबन्दी उपरान्त मृत्यु/गर्भधारण/जटिलता के प्रकरणों में क्षतिपूर्ति धनराशि के भुगतान हेतु क्लेम जमा करने एवं भुगतान की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्गत मैनुअल फॉर प्लानिंग इन्डेन्सिटी स्कीम में निहित प्राविधान के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के अधीन रहते हुए 'राज्य स्तरीय परिवार कल्याण क्षतिपूर्ति (इन्डेन्सिटी) उपसमिति' पुरुष तथा महिला नसबन्दी क्षतिपूर्ति केंसों का निस्तारण करेगी।

साथ ही जनपद स्तरीय इन्डेमिटी उपसमिति स्तर से संस्तुति सहित प्राप्त मृत्यु, जटिलता अथवा नसबंदी असफलता के केसों से सम्बंधित क्लेम फार्मों तथा संलग्न साक्ष्यों/अभिलेखों का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरान्त नियमानुसार सही पाये जाने की स्थिति में उक्त उप समिति क्षतिपूर्ति धनराशि प्रदान किये जाने का अनुमोदन प्रदान करेगी तथा क्लेम फार्म सही न पाये जाने की स्थिति में क्लेम केस को खारिज करेगी। समिति का कोरम तीन सदस्यों से पूर्ण होगा। राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की आगामी बैठक में उपसमिति द्वारा कृत कार्यवाही से अवगत कराया जायेगा।

1.2 प्रदेश में शासनादेश संख्या-143/पांच-9-2015-0 (127)/12 दिनांक 27-01-2015 तथा शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पांच-9-2015-9 (127)/12, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 के अनुसार शासकीय योजनाओं के अन्तर्गत परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाये जाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को सेवा देने हेतु सम्बद्ध किये जाने की योजना "हौसला साझीदारी" के नाम से प्रारम्भ की गयी है। योजना की समस्त प्रक्रियाओं की निगरानी तथा नीतिगत निर्णय लेने सम्बंधी परामर्श देने हेतु अधिशासी निदेशक-सिफसा की अध्यक्षता में 'राज्य स्तरीय टास्क फोर्स' का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के संयोजक निदेशक-परिवार कल्याण तथा सदस्य सचिव सयुक्त निदेशक-परिवार कल्याण हैं, जो राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के सदस्य भी हैं। परिवार नियोजन सेवायें देने हेतु निजी क्षेत्र की सम्बद्धता सम्बंधी कृत कार्यवाही से राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति को अवगत कराने का उत्तरदायित्व टास्क फोर्स के संयोजक/सदस्य सचिव का होगा।

2. जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति

जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की मुख्य भूमिका क्वालिटी के क्षेत्र में जनपद स्तर पर समग्र मार्गदर्शन, मॉटरिंग एवं अनुश्रवण करना है। समिति के अन्तर्गत दो उपसमितियाँ- 'जनपद स्तरीय परिवार कल्याण इन्डेमिटी उपसमिति' तथा 'जनपद स्तरीय एकीडिटेड एवं इम्पैनलमेंट उपसमिति' सम्मिलित रहेगी।

जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति का निम्नवत गठन किया जाता है :-

1	जिलाधिकारी	- अध्यक्ष
2	मुख्य चिकित्साधिकारी	- संयोजक
4	प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चि0/जिला महिला चि0	- सदस्य
5	प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (बारी से)	- सदस्य
6	जनपद स्तरीय चिकित्सालय के एक-एक स्त्री रोग विशेषज्ञ, शल्य चिकित्सक, एनेस्थेतिस्ट, फिजीशियन एवं बाल रोग विशेषज्ञ	- सदस्य
7	जिला चिकित्सालयों के नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट/उप नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट	- सदस्य
8	जनपद स्तर के विधिक सेल के प्रतिनिधि	- सदस्य
9	एक एकीडिटेड प्राइवेट नर्सिंग होम/स्वैच्छिक संस्था (हेल्थ केयर) के प्रतिनिधि	- सदस्य
10	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी/नोडल अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस	- सदस्य सचिव

कर्तव्य एवं दायित्व

- जनपद स्तर पर क्वालिटी एश्योरेंस सम्बंधी नीतियों एवं गाइडलाइन के सम्बंध में जनपद स्तरीय चिकित्सालयों के अधीक्षक/अधीक्षिका एवं क्वालिटी एश्योरेंस टीम के सदस्यों तथा जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट के सदस्यों का कार्यक्रम सम्बंधी अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण प्रदान किया जाना।
- जनपद स्तर पर लक्षित चिकित्सा स्वास्थ्य इकाईयों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता के मानक के अनुरूप सुदृढ़ करना।
- क्वालिटी एश्योरेंस गतिविधियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर की जायेगी:-
 - जनपद की चिकित्सा इकाईयों का भारत सरकार की निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार असेसमेंट, गैप्स चिन्हित करना तथा गैप्स दूर करने सम्बंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
 - विभिन्न चिकित्सा इकाईयों द्वारा प्राप्त स्कोर की समीक्षा करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने सम्बंधी निर्णय लिया जाना।

- विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत क्वालिटी सम्बंधी 'महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस सकेतकों' (Key performance Indicators) की समीक्षा।
- क्वालिटी एश्योरेंस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं विभिन्न चिकित्सा इकाईयों पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्यवाही हेतु धनराशि का औचित्य पूर्ण प्रस्ताव 'जनपदीय कार्य योजना में सम्मिलित कराना।
- 4. भारत सरकार के निर्धारित मानकानुसार चिकित्सा इकाई का सुदृढीकरण करते हुए चिकित्सा इकाई द्वारा 'नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट' प्राप्त किये जाने पर, भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये इन्सेन्टिव का नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित किया जाना।
- 5. जनपद स्तरीय परिवार कल्याण इन्डेम्निटी उपसमिति के कार्यों की समीक्षा किया जाना।

रिपोर्टिंग

- ✓ समिति की समीक्षा रिपोर्ट स्टेट एन0एच0एम0 वेब साइट पर अपलोड किया जाना।
- ✓ जनपद स्तरीय चिकित्सालयों की क्वालिटी एश्योरेंस टीम से समीक्षा रिपोर्ट साझा किया जाना।

प्रक्रिया

- जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक का आयोजन प्रत्येक तीन माह में किया जायेगा।
- अध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त समिति के संयोजक द्वारा सदस्यों को बैठक की निर्धारित तिथि से एक सप्ताह पूर्व पत्र द्वारा अवगत कराया जायेगा।
- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के संयोजक निर्धारित एजेण्डा के अनुसार बैठक सम्पन्न करायेंगे। बैठक का कार्यवृत्त अध्यक्ष को प्रेषित किया जायेगा।
- सदस्य सचिव द्वारा बैठक का एजेण्डा, कार्यवृत्त एवं सुधारात्मक कार्यवाही सम्बंधी रिपोर्ट तैयार की जायेगी।
- बैठक में सदस्यों की उपस्थिति, सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे।

2.1 जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति (इन्डेम्निटी) उपसमिति का गठन निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. जिलाधिकारी, | - | अध्यक्ष |
| 2. मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - | संयोजक |
| 3. इम्पैनल्ड स्त्री रोग विशेषज्ञ (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित) | - | सदस्य |
| 4. इम्पैनल्ड शल्य चिकित्सक (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित) | - | सदस्य |
| 5. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी | - | सदस्य सचिव |

कर्तव्य एवं दायित्व

जनपद स्तर पर गठित 'जनपद स्तरीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति उपसमिति' जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के अधीन रहते हुए नसबंदी क्षतिपूर्ति केसों का निस्तारण पूर्ववत् करेगी। असफल नसबंदी केसों से सम्बंधित क्लेम फार्मों के साथ संलग्न साक्ष्यों/अभिलेखों के अध्ययन तथा परीक्षण उपरान्त नियमानुसार सही पाये जाने की स्थिति में स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त अभिलेख राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस क्षतिपूर्ति उपसमिति को प्रेषित करेगी। साथ ही किसी चिकित्सा इकाई स्तर पर पुरुष/महिला नसबंदी शल्य किया के कारण हुई मृत्यु की जानकारी प्राप्त होने के 24 घण्टे के भीतर राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति को सूचित करने का दायित्व जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के संयोजक का होगा। उक्त केसों का डेथ ऑडिट भी जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति द्वारा किया जायेगा तथा रिपोर्ट राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति को प्रेषित की जायेगी। उक्त रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एक माह के अंदर प्रेषित किया जाना समिति का दायित्व होगा।

जनपद स्तरीय क्षतिपूर्ति उपसमिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जायेगी। बैठक में सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे। उक्त उपसमिति, जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति के अधीन रहते हुए नसबंदी क्षतिपूर्ति केसों का निस्तारण पूर्ववत् करेगी।

2.2 जनपद स्तरीय एकीडिटेशन एवं इम्पैनलमेंट उपसमिति:

प्रदेश में परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत निजी चिकित्सालयों एवं सेवा प्रदाताओं को आवश्यक सेवायें प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के इच्छुक निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/संस्था तथा परिवार नियोजन के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को कमशः एकीडिट एवं सम्बद्ध किये जाने हेतु जनपद स्तरीय एकीडिटेशन एवं इम्पैनलमेंट उपसमिति निम्नवत् गठित की जाती है :-

1. मुख्य चिकित्सा अधिकारी - अध्यक्ष
2. एक सरकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ (इम्पैनलड) - सदस्य
3. एक सरकारी शल्य चिकित्सक (इम्पैनलड) - सदस्य
4. सरकारी सेवारत एनेस्थेतिस्ट/फिजीशियन/बाल रोग विशेषज्ञ - सदस्य
5. जिला चिकित्सालयों के नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट/उप नर्सिंग सुपरिन्टेंडेंट - सदस्य
6. मेडिकल प्रोफेशनल बॉडीज-फॉक्ससी/आइ.एम.ए. इत्यादि का एक प्रतिनिधि - सदस्य
7. अपर/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आर0सी0एच0) - सदस्य सचिव

कर्तव्य एवं दायित्व

जनपद में निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/संस्था को चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं हेतु एकीडिट करने तथा चिकित्सा के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को सम्बद्ध करने का उत्तरदायित्व उक्त उपसमिति का होगा। बैठक में सदस्यों की कुल संख्या का दो तिहाई कोरम होने पर ही बैठक में लिए गये निर्णय वैध होंगे तथा बैठक में एक महिला सदस्य की उपस्थिति आवश्यक होगी।


नियम एवं प्रक्रिया

- जनपद स्तर पर निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/संस्था तथा निजी सेवा प्रदाताओं के साथ किये जाने वाले एम.ओ.यू./अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हेतु इस समिति के अध्यक्ष अधिकृत होंगे।
- निजी सेवा प्रदाताओं से सम्बंधित सभी प्रकार के सत्यापन यथा सम्बद्धता हेतु, स्थलीय निरीक्षण, भुगतान हेतु 10 प्रतिशत सेवाओं का भौतिक सत्यापन तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित अन्य सत्यापन कार्य हेतु भी उपसमिति अधिकृत की जाती है।
- निजी चिकित्सालय/नर्सिंग होम/संस्था को एकीडिट अथवा चिकित्सा के विभिन्न विधाओं में प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं को सम्बद्ध करने हेतु आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त अधिकतम सात कार्य दिवसों के भीतर जनपद स्तरीय एकीडिटेशन एवं इम्पैनलमेंट उपसमिति की बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक है।
- उपसमिति प्रत्येक तिमाही पर जनपद में परिवार नियोजन सेवायें प्रदान करने हेतु इम्पैनलड चिकित्सकों एवं सेवा प्रदाताओं की सूची को अद्यतन करेगी।
- जनपद स्तरीय एकीडिटेशन एवं इम्पैनलमेंट उपसमिति के अध्यक्ष जनपद स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस समिति की बैठक में कृत कार्यवाही से अवगत करायेंगे।

जनपद स्तरीय एकीडिटेशन उपसमिति के सम्बंध में शासनादेश संख्या-143/पाँच-9-2015-9 (127)/12, दिनांक 27 जनवरी, 2015 तथा शासनादेश संख्या-42/2015/1167/पाँच-9-2015-9 (127)/12, दिनांक 01 सितम्बर, 2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देश यथावत् रहेंगे। पी. सी.पी.एन.डी.टी. एक्ट 1994, के तहत गठित समितियां यथावत् कार्य करती रहेंगी तथा वे वर्तमान शासनादेश से अछादित नहीं हैं।

उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय


(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या- 00.8015-4-15

तद्दिनांक : 30.10.15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
2. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0।
3. अपर अधिशासी निदेशक, सिफसा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, चिकित्सा उपचार एवं नोडल अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस
7. निदेशक, परिवार नियोजन, संक्रामक रोग, चिकित्सा शिक्षा, उ0प्र0
8. अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक स्वास्थ्य (चिकित्सा उपचार) एवं परिवार कल्याण अथवा समतुल्य राज्य स्तरीय क्वालिटी एश्योरेंस सेल के अधिकारी
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चि0स्वा0 एवं प0क0, उ0प्र0
10. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, क्वालिटी एश्योरेंस, उत्तर प्रदेश।
12. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला चिकित्सालय, डी.सी.एच./डी.डब्ल्यू.एच./एस0जी0पी0जी0आई0/आर0एम0एल0इंस्टीट्यूट
13. राज्य लीगल सेल अधिकारी, उ0प्र0, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय लखनऊ
14. सचिव फॉक्सी/आइ.एम.ए./पब्लिक हेल्थ/आई.ए.पी.एस.एम./आई.ए.पी.

olc
w

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव